फा.सं.ई-13019/2/2023-हिंदी
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 27.08.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों से प्राप्त अनुवाद सामग्री की बिना हाइलाइट के संशोधित प्रति भेजे जाने और एनआईसी ईमेल के अतिरिक्त वाट्सअप आदि अन्य माध्यमों से सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद की मॉंग किए जाने के संबंध में।

राजभाषा अनुभाग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न अनुभागों/प्रभागों आदि से प्राप्त संसदीय प्रश्नोत्तरी, वार्षिक रिपोर्ट, बजट, अर्धशासकीय पत्र, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, भर्ती नियम, विभिन्न आदेश, मंत्रीमंडल नोट, स्थायी समिति संबंधी सामग्री आदि का अनुवाद कार्य किया जाता है। **ऐसा देखा गया है कि कुछ अनुभागों/प्रभागों से हिन्दी अनुवाद हेतु भेजी गई सामग्री को संशोधित किए गए हिस्से को बिना हाइलाइट/अंडरलाइन किए पूरी सामग्री की संशोधित प्रति पुनः अनुवाद हेतु भेज दी जाती है, जिससे राजभाषा अनुभाग में संशोधित सामग्री की पुनः पूर्ण जॉंच करके संशोधित किए गए भाग का पता लगा कर पुनः संपूर्ण सामग्री का अनुवाद प्रस्तुत करना होता है। अंग्रेजी सामग्री के संशोधित हिस्से को हाइलाइट/अंडरलाइन न किए जाने के कारण अनावश्यक कार्य बढ़ जाता है।** यदि अंग्रेजी सामग्री के संशोधित हिस्से को हाइलाइट/अंडरलाइन करके भेजा जाता है तो कम समय में ही कार्य संपन्न किया जा सकता है।

2. **इसके अतिरिक्त, ऐसा भी देखा गया है कि कुछ अनुभागों/प्रभागों से अंग्रेजी सामग्री को हिन्दी अनुवाद हेतु एनआईसी ईमेल के अतिरिक्त वाट्सअप आदि अन्य माध्यमों से भेज दिया जाता है जिससे सरकारी दस्तावेजों की गोपनीयता प्रभावित होती है।**

3. उपरोक्त के मद्देनजर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सभी अधिकारियों/प्रभागों से अनुरोध है कि अंग्रेजी सामग्री के संशोधित होने पर उन्हें हिन्दी अनुवाद हेतु संशोधित अंग्रेजी सामग्री को हाइलाइट/अंडरलाइन आदि द्वारा दर्शाते हुए हिन्दी अनुवाद हेतु प्रस्तुत करें तथा सरकारी दस्तावेजों की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी सामग्री को एनआईसी ईमेल के अतिरिक्त वाट्सअप आदि अन्य माध्यमों से न भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

(बिजय कुमार बेहेरा)
आर्थिक सलाहकार एव राजभाषा प्रभारी

सेवा में,

1. **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सभी अधिकारी/ अनुभाग (Intra MOWR के माध्यम से)।**

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. **सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।**